Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.सी-12/2016-एमपीलैड्स(पार्ट)

Dated 23.02.2017

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः कार्यान्वयन एजेंसी के चयन से संबंधित ।

महोदय/महोदया,

कार्यान्वयन एजेंसी से संबंधित एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 (ख) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः

(ख) क्रियान्वयन एजेंसी का चयन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा । बशर्ते कि कतिपय विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे), में कतिपय कार्यों के संबंध में जहां कार्यान्वयन एजेंसी आवश्यक रूप से केन्द्र सरकार मंत्रालय/संगठन होगी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उसी का चयन किया जाएगा ।

2. यद्यपि दिशानिर्देश एमपीलैड्स कार्यों के क्रियान्वयन के लिए बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छा रिकार्ड रखने वाली केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों के चयन के लिए जिला प्राधिकारियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जिला प्राधिकारी द्वारा क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी के चयन के दायरे को विस्तृत बनाने के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 (ख) को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ताकि केन्द्रीय सरकारी एजेंसियां जैसे कि

सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि को भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयन हेतु विचार किया जा सके ।

3. अतः यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 (ख) को निम्नानुसार पढ़ा जाएः

"(ख) क्रियान्वयन एजेंसी का चयन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा । क्रियान्वयन एजेंसी का चयन करते समय राज्य/जिला प्राधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार की एजेंसियों यथा सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए । तथापि, कतिपय विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे), में कतिपय कार्यों के संबंध में जहां कार्यान्वयन एजेंसी आवश्यक रूप से केन्द्र सरकार मंत्रालय/संगठन होगी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उसी का चयन किया जाएगा ।"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

डी. साईबाबा 23/11/17

(डी. साई बाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव/मुख्य सचिव
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।